

सतर्कता एवम् निगरानी समिति

सतर्कता एवम् निगरानी समिति वी.एम.सी. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना का एक जलूरी भाग है। समिति में सदस्यता के लिए स्थानीय पंचायत/गांव के लोगों को जहां पर काम चल रहा हो लिया जाता है। सतर्कता एवम् निगरानी समिति वी.एम.सी. का उद्देश्य काम में लोगों की भागीदारी और काम की गुणवता और प्रगति को देखना है। जिससे पंचायत के लोगों को कार्य में भागीदारी और मालिकाना स्थापित होती है।

प्रः निगरानी का क्या मतलब है ?

उः निगरानी का मतलब है कि समिति द्वारा चल रहे कामों का अचानक निरीक्षण/चैकिंग करना और देखना कि क्या काम मनरेगा दिशा निर्देश के अनुसार हो रहा है या नहीं।

प्रः स्थानीय चौकसी एवम् निगरानी समिति का गठन किस प्रकार किया जायेगा ?

उः

- वी.एम.सी सदस्यों का चयन ग्राम पंचायत द्वारा काम को शुरू करने के लिए बुलाई गई बैठक में किया जाए। कार्यन्वयन एजेंसी के एक स्टाफ सदस्य द्वारा उपस्थिति की जानी चाहिए।
- वी.एम.सी में स्थानीय ग्राम पंचायत के समुदाय/ लोगों में से चयन किया जाए। वी.एम.सी. में 9 सदस्य होंगे। एक तिहाई अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति तथा एक तिहाई महिला होनी चाहिए।
- इस समिति में जनता के प्रतिनिधि रिटायर व्यक्ति/एन.जी.ओ. /समुदायिक मण्डलों के सदस्य हों। वी.एम.सी के आधे सदस्य नरेगा के कामगारों में से लिए हों।
- वी.एम.सी सदस्यों का कार्यकाल एक वर्ष रहेगा।

- वी.एम.सी द्वारा पंचायत में चालू कार्यों की नियमित रूप से लगातार निगरानी की जायेगी ।
- ग्राम पंचायत अथवा काम करवाने वाली एजेंसी की जिम्मेदारी है कि वे सभी जल्दी जानकारी एवम् कागजात आदि जांच एवं समीक्षा के लिए वी.एम.सी को दें ।
- वी.एम.सी सभी चल रहे कार्यों, मरठर रोल, कार्य स्थल सुविधाएं, कार्य और इस्तेमाल की जा रही सामग्री की गुणवता आदि पर निगरानी रखेगी और समने आई कमियों को दूर करने के लिए तुरन्त सुधारात्मक कार्यवाही करेगी ।
- वी.एम.सी अपनी रिपोर्ट को कार्यस्थल पर कामगारों के साथ बातचीत कर अंतिम रूप दें ।
- सरकारी कर्मचारी वी.एम.सी के कार्यों में कोई भी दखल अंदाजी नहीं करेंगे । उनका काम केवल वी.एम.सी द्वारा उसकी रिपोर्ट में बताई गयी कमियों को दूर करना है ।
- वी.एम.सी अपनी रिपोर्ट को ग्राम पंचायत और कार्यक्रम अधिकारी/वी.डी.ओ. को तुरन्त कार्यवाही के लिए देगी ।
- वी.एम.सी अपनी रिपोर्ट को सामाजिक अंकेक्षण समिति को भी स्कीम के कार्यव्यवयन अनुमान के लिए प्रस्तुत करेगी ।

प्र: वी.एम.सी के गठन का क्या उद्देश्य है ?

- उः 1. मनरेगा के अर्तगत चल रहे कामों में गांव के लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित करना ।
2. मनरेगा में सरकारी अधिकारियों की काम करने के तरीके में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाना ।
3. चल रहे कामों की गुणवता को सुनिश्चित करना ।

4. चल रहे कामों में अगर कोई कमी है तो उसे जानना और ग्राम पंचायत को

सुधार के लिए सुचित करना ।

5. मनरेगा अधिनियम में प्रावधानों का सही रूप में निष्पक्षता और जिम्मेदारी के साथ

हर चरण में लागू करना/सुनिश्चित करना ।

प्र. वी.एम.सी क्या काम करेगी ?

उः गांव में मनरेगा स्कीम के अन्तर्गत चल रहे कामों पर वी.एम.सी महीने में एक बार बैठक में चर्चा करेगी । इन बैठकों में ग्राम रोजगार सेवक और तकनीकी सहायक का उपस्थित होना जरूरी है । वी.एम.सी चल रहे कार्यों की निगरानी करेगी ।

1. वी.एम.सी गांव/ग्राम पंचायत में चालू कामों की प्रगति कार्यान्वयन की अलग-2 अवस्था पर निगरानी करेगी ।
2. वी.एम.सी. यह भी सुनिश्चित करेगी कि कार्य की गुणता और प्रगति तकनीकी अनुमानों के अनुसार है ।
3. कार्यस्थल पर पीने के पानी, छाया, दवा और बच्चों की देखभाल की सुविधाएं उपलब्ध हैं या नहीं ।
4. वी.एम.सी के द्वारा चालू कामों का अचानक से निरिक्षण किया जाए और कार्यस्थल पर उपलब्ध मस्टर रोल की जांच की जाए । हाजरी द्वारा यह भी देखा जाए कि मस्टर रोल में दी गई जानकारी और वास्तविक उपस्थिती के मिलान की जानकारी ठीक है ।
5. कार्य के लिए उपलब्ध सामान की मात्रा और गुणवता को व्यवहारिक ज्ञान से जांचा जाये ओर स्टाक रजिस्ट्रर को भी जांच कर मिलान किया जाए ।
6. ग्राम पंचायत में रखे गये मनरेगा से सम्बन्धित दस्तावेजों और रजिस्टरों को जांचना ।

7. ग्राम पंचायत द्वारा वेतन देने की प्रक्रिया एवम् वेतन भूगतान रसीद/वाउचरों को जांचना ।
 8. काम करने वालों को उनके अधिकारों के प्रति जानकारी देना ।
 9. वी.एम.सी पूरी रिपोर्ट को ग्राम पंचायत कार्यक्रम अधिकारी और ग्राम सभा को प्रस्तुत करेगी । समिति 5 या 5 सदस्यों से अधिक की उपस्थिती में रिपोर्ट पर विचार करेगी ।
 10. उपर बताये गये सभी दस्तावेजों, रजिस्टरों और मस्टर रोल की जांच पर समिति एक रिपोर्ट तैयार करेगी जो कि सामाजिक लेखा परीक्षा के समय ग्राम सभा में प्रस्तुत की जाए ।
- प्र.** वी.एम.सी द्वारा किन पहलुओं पर निगरानी रखी जाएगी ?
- उः वी.एम.सी द्वारा समीक्षा किये जाने वाले तथ्यः
1. ग्राम सभा द्वारा मान्य कार्यों का चयन व प्राथमिकता के अनुसार करना ।
 2. कार्यों की तकनीकी एवम् लागत अनुमानों की समीक्षा ।
 3. कार्यस्थल पर मस्टर रोल के रखरखाव की व्यवस्था की समीक्षा ।
 4. यह सुनिश्चित करना कि सभी कामगारों को व्यूनतम् मजदूरी का भूगतान हो रहा है ।
 5. यह जाचं करना कि मजदूरी का भूगतान 15 दिन के समय के भीतर हो रहा है, ।
 6. तकनीकी आधार पर कार्यों को जांच और गुणवता का आकलन करना ।
 7. यह देखना कि कार्यस्थल पर आवश्यक सुविधाएं हो ।
 8. खरीदे हुए सामान का समय पर भूगतान हो रहा है या नहीं ।
 9. काम में क्या शिकायतें आई और किस तरह उन शिकायतों को निपटाया गया । यदि नहीं तो अब उन शिकायतों की क्या स्थिती है ।
 10. ग्रम पंचायत स्तर पर किए गए कार्यों के रिकार्ड की समीक्षा करना तथा कमियों पर जानकारी देना ।
 11. ग्राम पंचायत के सूचना पट एवम् कार्यस्थल पर स्वयं प्रकाशित की जाने वाली सूचनाओं को देख कर अपनी रिपोर्ट देना ।

प्रश्न: वी.एम.सी के द्वारा दिये जाने वाली रिपोर्ट कैसी हो ?

उत्तर: वी.एम.सी की रिपोर्ट दिये गये फार्म/प्रपत्रा के अनुसार हो --

- गांव का नाम
- ग्राम पंचायत
- ब्लाक का नाम
- वी.एम.सी द्वारा निरीक्षण की तारीख
- कार्य का नाम
- कार्य 'शुल्क करने की तारीख'
- कुल स्वीकृत राशि
- कुल जारी की गई राशि
- वी.एम.सी को निरीक्षण के समय कौन-2 से कार्यकर्ता कार्य स्थल पर मिले:
 - वार्ड पंच (मस्टर रोल के रखरखाव हेतु)
 - ग्राम रोजगार सेवक
 - ग्राम पंचात के प्रधान और सदस्य
 - पंचायत सचिव या सहायक
 - तकनीकी सहायक
 - अन्य कोई प्रतिनिधि
 - कोई नहीं

1. क्या ग्राम पंचायत द्वारा कार्यों का चयन ग्राम सभा में किया गया है ?

हॉ	
नहीं	

2. कार्यस्थल पर मस्टर रोल का रखरखाव करने वाले पंच भी क्या मस्टर रोल पर हाजरी लगा रहे हैं ? हां / नहीं
3. क्या वार्ड पंच निम्नलिखित कार्यों को करने में सक्षम है या नहीं ?

- मापना/पैमार्झ करना
 - कार्यस्थल पर सुविधाओं को उपलब्ध करवाना
 - प्राथमिक/शुलआती दवा का प्रबन्ध
 - कार्यस्थल पर निर्माण सामान की देख रेख
 - अन्य, यदि कुछ हो तो
4. मेट के तौर पर कार्यरत वार्ड पंच ने क्या कोई ट्रेनिंग ली है या नहीं
5. क्या वार्ड पंच माप/पैमार्झ लेने में समर्थ/काबिल है ?
6. क्या पंच के पास निम्नलिखित उपकरण/सामग्री उपलब्ध है ।
- पैमार्झी पोल/गज
 - मापक फीता
 - कैलकुलेटर
 - माप पुस्तिका

1. मस्टर रोल

1. क्या मस्टर रोल कार्यस्थल पर वी.एम.सी द्वारा निगरानी के समय उपलब्ध था ?
2. अगर नहीं तो मस्टर रोल कहां है ?
- ग्राम रोजगार सेवक के साथ
 - ग्राम पंचायत कार्यालय में
 - कार्यक्रम अधिकारी/बी.डी.ओ. के पास
 - तकनीकी सहायक के साथ
 - कार्यस्थल पर कोई पक्का मस्टर रोल नहीं
 - कोई जानकारी नहीं
3. अगर है तो क्या मस्टर रोल पूरा था (निगरानी के दिन की उपस्थिती समेत)
4. कितने मजदूर कार्य स्थल पर कार्य कर रहे थे

- मस्टर रोल के अनुसार
 - असल में हाजिर
5. ग्राम रोजगार सेवक द्वारा कभी मस्टर रोल की जांच परख की गयी । हाँ/नहीं
 6. मस्टर रोल पर मजदूरों से हस्ताक्षर या बांए हाथ के अंगूठे का निशान लिया गया है या नहीं ।
 7. क्या मस्टर रोल कार्यक्रम अधिकारी/बी.डी.ओ. द्वारा हस्ताक्षरित है या नहीं ?
 8. मस्टर रोल पर विशेष”न. ;नदपुनम पक्ष्म है या नहीं
 9. क्या कार्यस्थल पर रंगीन मस्टर रोल नरेगा होलो ग्राम के साथ प्रयोग में लाया जा रहा है या नहीं ?
 10. महिला और पुरुष का कार्यस्थल पर क्या अनुपात

पुरुष	
महिला	

2. जाब कार्ड

1. क्या जाब कार्ड में कामगार का नाम दर्ज है या नहीं
2. क्या जॉब कार्ड कामगारों के पास है या नहीं

हाँ	
नहीं	
कुछ के साथ	

3. अगर नहीं तो किस के पास है

1. ग्राम रोजगार सहायक 2. सहायक/पंचायत सचिव 3.
प्रधान
4. ग्राम पंचायत 5 मजदूरों के घर पर 6. पता नहीं
4. अगर हां तो क्या जॉब कार्ड पर अभी तक की सारी जरूरी जानकारी डाल दी गई है या नहीं
5. कितने कामगरों ने समूह में काम करने के लिए आवेदन किया है ? संख्या
6. कितने कामगरों ने मांग या आवेदन के बिना काम पक्ष्या है

3. कामों की पैमार्झ

1. क्या मजदूर यह जानते हैं कि उन्हें न्यूनतम मजदूरी पाने के लिए कितना काम करना है ।
2. कार्य पूरा होने के बाद तकनीकी सहायक/इंजीनियर को पैमार्झ करने में कितने दिना का समय लगता है ।
3. क्या मैपार्झ बुक कार्यस्थल पर किए हुए कामों की असल स्थिती दर्शा रही है ।
- क. हां ख. नहीं ग मालूम नहीं
 घ माप पुस्तिका उपलब्ध नहीं

4. मजदूरी:-

1. चालू काम के आखरी भूगतान के बाद कितने दिन बित चुके हैं ।
2. कितने मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी मिली है ।
3. क्या पुरुषों और महिलओं को बराबर दर से मजदूरी दी गई है ।
4. क्या मजदूरी बचत खाते ढारा दी गई है या नकद में दी गई है ।
- बचत खाता नकद कुछ को
5. नगद भूगतान क्यों किया गया ?
6. क्या मजदूरों ढारा मजदूरी लेने के बाद मस्टर रोल पर हस्ताक्षर किए गए हैं ?
- हां नहीं कुछ ने किए

7. क्या निम्न मदों के लिए अतिरिक्त भूगतान किया गया है ?

क. यात्रा भत्ता हाँ नहीं

ख हथियार आदि तेज करने के लिए हाँ नहीं

ग. अन्य

8. क्या मजदूरों की मजदूरी भूगतान सम्बन्धित निम्नलिखित में से कोई भूगतान शिकायत है ?

- मजदूरी भूगतान में देरी
- व्यूनतम तय राशि से कम दर पर भूगतान
- डाकघर या बैंक में खाता चलाने में समस्या
- अन्य
- भुगतान कम किया गया

5. कार्यस्थल पर सुविधाएँ:

1. क्या निगरानी के दौरान निम्नलिखित सुविधाएँ कार्यस्थल पर उपलब्ध थी:-

क. आराम के लिए छाया

ख. पीने का पानी

ग. शुल्काती देखभाल के लिए दवा

घ. बच्चों की देख रेख की सुविधा

2. क्या कार्यस्थल पर नागरिक जानकारी बोर्ड है : हाँ / नहीं

3. अगर है तो क्या नागरिक जानकारी बोर्ड पर निम्नलिखित जानकीर दी गई है:

- काम के लिए कुल स्वीकृत राशि
- मजदूरी के लिए स्वीकृत राशि
- व्यूनतम मजदूरी लेने हेतु कितना काम जरूरी है ।
- सामान की कीमत

- कितनी सामान/सामग्री की आवश्यकता है ।

6. सामग्री का उपयोग

1. क्या इस काम में किसी निर्माण सामग्री का इस्तेमाल हुआ है ?
2. अगर हां, तो क्या आप के द्वारा कार्यस्थल पर निम्न गुणवता की सामग्री देखी गई ।

अगर हां तो ब्यौरा:

3. क्या इस काम में निर्धारित मापदंडों के अनुसार सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है ?

अगर नहीं -----

4. क्या स्टोर में बची हुई सामग्री स्टॉक रजिस्टर से मिलान करती है ?

अगर नहीं तो क्यों-----

7. रजिस्टरों का रख रखाव

1. क्या ग्राम पंचायत में निम्नलिखित रजिस्टर उपलब्ध है ?

- पंजीकरण रजिस्टर
- जॉब कार्ड/राजिस्टर
- रोजगार रजिस्टर
- अस्ति/परिसम्पत्ति रजिस्टर
- शिकायत रजिस्टर
- मस्टर रोल प्राप्ति रजिस्टर
- कार्य मांग रजिस्टर

2. क्या सभी रजिस्टरों में जानकारी पूरी दर्ज है :-

हां नहीं कुछ

3. क्या कोई पंजीकृत परिवार है जिन्हें जॉब कार्ड नहीं दिया गया ?

हॉ	नहीं	नहीं पता
----	------	----------

4. क्या ग्राम पंचायत को मनरेगा से सम्बन्धित कोई लिखित शिकायत प्राप्त हुई ?
5. यदि हां, तो क्या प्रधान या बी.डी.ओ. द्वारा उनका निपटारा 15 दिनों में कर दिया गया है ?
6. परिसम्पति रजिस्टर के अनुसार ग्राम पंचायत/ गांव में कितने काम शुल्क हैं ।
7. कितने कार्य अभी तक पूरे नहीं हुए हैं ।
(परिसम्पति रजिस्टर के अनुसार शुल्क हुए, पर पूरे नहीं हो पाए)
नाम प्रकारः

8. क्या भुगतान किये गये मस्टर रोल की काई प्रति ग्राम पंचायत में उपलब्ध है ?
9. क्या मनरेगा की जानकारी ग्राम पंचायत के सूचना पट पर घोषित की गई है ?
10. क्या आपको मनरेगा में ठेकेदार द्वारा काम करवाए जाने के कोई सबूत या कोई शिकायत मिली है ?
11. क्या आपको मनरेगा में मजदूरों की जगह मशीन के इस्तेमाल की शिकायत या सबूत मिले, अगर हां तो क्या ?
12. कार्य के बारे में आपके क्या विचार हैं जो आपके द्वारा देखा गया है ।
13. कार्य के महत्व, उपयोग और बनायी गयी सम्पर्कियों की गुणवता पर आपके क्या विचार हैं:
क. बहुत लाभदायक
ख. कुछ लाभदायक
ग. ज्यादा लाभदायक
घ. कोई उपयोग नहीं
ड. अनुमान लगाना कठिन ।